




GOVT. OF BIHAR
Electoral & Registration Deptt.
NA SCORE, PATNA
COURT FEE
Registration No. 2491
"प्ररूप 26"
(नियम नक देखिए)



STAMP DUTY
00000
Rs. 0000100
375270

बिहार
JUDICIAL
26.3.2014
BIHAR

9052 0239767



31 - पाटलिपुत्र - संगमरम्य

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

भाग-क

शुनील कुमार सिंह **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीतपैश्वर सिंह
आयु 45 वर्ष जो संगमरम्य, दातापुर 2 केंद्र, पटना, बिहार-801503

(डाक का

पूरा भवन स्थित) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ।
मैं/मैंने (1) संघ-क (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

* जो लागू न हो उसे काट दें

(2) मेरा नाम 186-दातापुर, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 28 के क्रम सं 587 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9334643214 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ... है।

Notary Seal is being identified by ...
Date: 26.3.2014
No. 37803



स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिणति : २०१३ नई

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	२५६७		
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित-1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3			

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। २०१३ नई

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान देने के आदेश की तारीख	
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (अपराधों) को विरचना की गई	



(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरहित किए गए थे	
(घ.)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी रक्षक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकی गई है/हैं	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:- नाही

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिराक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: नाही

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

नाही

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख (तारीखें)	



अधिसूचित दंड	
क्या सिद्धदोष उहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के व्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की अस्तित्थियों (जंगम और स्थावर आदि) के व्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम अस्तित्थियों के व्यौरे :

टिप्पण 1 -- संयुक्त स्वामित्थ की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में अस्तित्थों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 -- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित व्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 -- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचर्स का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में धालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 -- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्थ अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 -- रकम सहित व्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	2500/-	2500/-	5000/-	5000/-	
(ii)	बैंक खातों में जमा के व्यौरे (नियत जमा, आचधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातों भी हैं), विदेशी संस्थाओं, गैर बैंककारी विदेशी कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के धारा जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	S/B - A/C Demand Rs. 600/- इसमें हावद बैंक A/c No. 50018528195 शे 18 90, 4260	S/B - A/C Rs 28000/- A/c No. 2024440430 इसमें हावद बैंक शे 18 90, 4260	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचर्स/ शेयरों तथा यूनिटों के व्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं



	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं विधीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	50000/- कि.सा.किका.फ.फि 5/कन.2 फकीलाफ	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरसाहन/वायुमान/याट/पोत (भेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	20 ग्राम लेका टि.जे.नै.न 60000/-	200 ग्राम शो.क.के.जे.जे. 500 ग्राम गं.दी.के.जे.जे. 630000/-	शून्य	5 ग्राम लेना का मार्केट 50 ग्राम गं.दी.के.जे.जे. 18000/-	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	631000/-	710500/-	5000/-	23000/-	शून्य

आ. रथावर आस्तियों के ब्यौरे


टिप्पण 1-- संयुक्त स्वागोत्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2-- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(3)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	खाना नं. 23 5242-189-46 -4 97 31/10-2/2 3812.3	शून्य	शून्य	शून्य	ला.पू.नं. 1
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.51-5 का 1/3	"	"	"	"
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	"	"	"	"
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	"	"	"	"
	क्रय के लिये भूमि की लागत (क्रय की तारीख)	शून्य	"	"	"	"



	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्धान	रु. ०.००	"	"	"	"
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	11,700,000/-	"	"	"	"
(ii)	शैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शु. ००	शु. ००	शु. ००	शु. ००	शु. ००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	"	"	"	"	"
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	"	"	"	"	"
	स्वजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	"	"	"	"	"
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	"	"	"	"	"
	विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्धान	"	"	"	"	"
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	"	"	"	"	"
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शु. ००	शु. ००	शु. ००	शु. ००	शु. ००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	"	"	"	"	"
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	"	"	"	"	"
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	"	"	"	"	"
	स्वजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	"	"	"	"	"
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	"	"	"	"	"
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिर्धान	"	"	"	"	"
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	"	"	"	"	"
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2100 sq. ft.	शु. ००	शु. ००	शु. ००	शु. ००



शुद्धि नोट (1)

	निर्दिष्ट क्षेत्र (जहाँ कुट में कुल माप)	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	"	"	"	"
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	"	"	"	"
	क्रय के समय भूमि को लागू (क्रय की दशा में)	"	"	"	"	"
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	"	"	"	"	"
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	४,५०,००,००/-	"	"	"	"
(VI)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	"	"	"	"
(VII)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	"	"	"	"

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्तर	धति या पल्ले	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२२.००	शुद्धि निकाय 61000/-	२२.००	२२.००	२२.००
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००
	नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००
	दायित्वों का कुल योग	२२.००	61000/-	२२.००	२२.००	२२.००
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	"	"	"	"	"



	आपूर्ति	आपूर्ति	आपूर्ति	आपूर्ति	आपूर्ति
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	"	"	"	"	"
टेलीफोन/भोवाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	"	"	"	"	"
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	"	"	"	"	"
आय-कर शोध्य	"	"	"	"	"
घनकर शोध्य	"	"	"	"	"
सेवाकर शोध्य	"	"	"	"	"
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	"	"	"	"	"
विक्रयकर शोध्य	"	"	"	"	"
कोई अन्य शोध्य	"	"	"	"	"
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	"	"	"	"	"
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्भूत रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	"	"	"	"	"

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :


(क) स्वयं..... वृत्ति

(ख) पति या पत्नी..... वृत्ति

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

उच्च माध्यमिक विद्यालय, दारभंग, 1980 - सामाजिक पढ़ाई
 टी.पी.एल. कॉलेज, मरठ - 1982 - आई.एस.सी.
 टी.पी.एल. कॉलेज, मरठ - 1984 - बी.एस.सी. (प्रतिष्ठा)
 टी.पी.एल. कॉलेज, मरठ - 1986 - एम.एल.सी. (अर्थशास्त्र)


(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)




भाग-ख

(11) सभ-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० सुमन कुमार सिंह				
2	डाक का पता	5/0 श्री तपेश्वर सिंह, एगुला, दाकापुर कैंट. जिला पटना-801503				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	31-पार्लियुमा बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे ललित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नाशु नही				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद् (i) उल्लिखित मामलों से मिले)	नाशु नही				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्ध दोष तहसया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	नाशु नही				
7 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	नाशु नही				
	(ख) पति या पत्नी					
	(ग) आश्रित					
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपरे में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)					



स्थायर आरिस्तयां						
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	₹०.००	₹०.००	₹०.००	₹०.००
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	//	//	//	//	//
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत		//	//	//	//
	(क) स्वर्जित आरिस्तयां (कुल मूल्य)	₹०.००	//	//	//	//
	(ख) विरासती आरिस्तयां (कुल मूल्य)	117,000,000/- 50,00,000		//	//	//
		122,000,000/- (106,00,000/-)				
9	दायित्व	₹०.००	61,000/-	₹०.००	₹०.००	₹०.००
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	₹०.००	//	//	//
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹०.००	//	//	//	//
10	ऐसे दायित्व जो विवादशील हैं		मात्र 2,00,000/-			
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	₹०.००				
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹०.००				



11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :		
	जे. एन. ई. स्कूल, कानपुर २, के.ए. १९८०	क. प्र. म. वि. वि. ए. ए. ए. ए.	
	टी. पी. ए. स्कूल, कानपुर २, के.ए. १९८२	क. प्र. म. वि. वि. ए. ए. ए. ए.	
	टी. पी. ए. स्कूल, कानपुर २, के.ए. १९८४	क. प्र. म. वि. वि. ए. ए. ए. ए.	
	ए. ए. स्कूल, कानपुर २, के.ए. १९८६	क. प्र. म. वि. वि. ए. ए. ए. ए.	
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)			

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से निम्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से निम्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26.03.2014 को सत्यापित किया गया।

(Handwritten Signature)


अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम दर्ज मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरना जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारिथत "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

शपथपत्र टंकित या सुफट्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



टिप्पण - 5 मजनीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिस्जॉर इलिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरना जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। मजनीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में अस्फल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षण के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।


टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याये है/हैं..... 9334643214

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।



Manoj Kumar Singh
 Notary Public
 This has signed in my Presence

Manoj Kumar Singh